अनुमंडल कार्यालय, सिमरीबख्तियारपुर

–:: आपूर्ति शाखा ::–

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 61, दिनांक 05.01.2015 द्वारा निर्गत सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश 2014 में प्रावधानित उपबंध एवं ज्ञापांक 1479, दिनांक 18.02.2015, ज्ञापांक 1703, दिनांक 25.02.2015 तथा ज्ञापांक 2258, दिनांक 18.03.2015 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में सहरसा जिलान्तर्गत, सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल, सहरसा के जन वितरण प्रणाली के **दूकानों की कुल 58 रिक्तियाँ, जिसमें अनुसूचित जनजाति– 03 (तीन), अनुसूचित जाति– 04 (चार), पिछड़ा वर्ग– 00 (शून्य), पिछड़ा वर्ग की महिला– 04 (चार), अत्यंत पिछड़ी जाति– 22 (बाईस) एवं अनारक्षित– 25 (पच्चीस)** को भरने हेतु पंचायत के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. **आवेदन पत्र जमा करने का तरीका** :– "व्यक्ति विशेष" से विहित प्रपत्र–1 में, पैक्सों से विहित प्रपत्र– 1(क) में तथा स्वंय सहायता समूह से विहित प्रपत्र– 1 (ख) में आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जाएगा तथा आवेदक को प्राप्ति रसीद हस्ताक्षर मुहर के साथ दी जाएगी। आवेदन पत्र के सभी स्तंभ भरे होने चाहिए। कटे–फटे अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

2. **शैक्षणिक योग्यता** :– आवेदन करने हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता संबंधित अहर्त्ता निर्धारित नहीं है, किन्तु अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता और प्राप्तांक दोनों समान रहने पर अधिक उम्र के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. **अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकताएँ प्रदान की जाएगी** :– (क) स्वंय सहायता समूह (ख) ग्राम पंचायत (ग) सहकारी समितियाँ (घ) महिलाएँ/महिलाओं की सहयोग समितियाँ (ड़) पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ (च) विकलांग (छ) शिक्षित बेरोजगार (ज) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **अनुज्ञप्ति पाँच वर्षों के लिए निर्गत की जाएगी।**

5. **निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा** :–

(क) संयुक्त परिवार के कई सदस्यों के नाम से (ख) मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, सांसद, नगर निगम एवं नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों को उनके कार्यकाल तक। (ग) आटा चक्की के मिल मालिकों को। (घ) अव्यस्क, पागल, विकृतचित, दिवालिया को (ड़) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध व्यक्ति को। (च) किसी सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित व्यक्ति को।

6. **आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि** :– आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में **दिनांक 01.08.2015 से दिनांक 14.08.2015 के अपराह्न 05.00 बजे तक** प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

7. **चयन प्रक्रिया** :– सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच सक्षम पदाधिकारी से करवाई जाएगी। जाँचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन प्रेषित करेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति के अनुशंसा के उपरांत अनुशंसित आवेदकों को मो० 400/– का ट्रेजरी चालान के रूप में अनुज्ञपित शुल्क जमा करने के उपरांत अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।

8. पंचायत/प्रखंडवार रिक्ति संबंधी विवरणी निम्न प्रकार है :–

प्रखण्ड का नाम	क्र०	पंचायत का नाम	रिक्ति की सं०	आरक्षण कोटि
सिमरी बख्तियारपुर	1	खजुरी	1	अनुसूचित जनजाति
	2	कांठो	2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 01 (एक) एवं पिछड़ा वर्ग की महिला– 01 (ए
	3	बघवा	1	अत्यंत पिछड़ी जाति
	4	पहाड़पुर	3	अनुसूचित जाति– 2 (दो) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 01 (एक)
	5	घोघसम	2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग–01 (एक) अनारक्षित– 01 (एक)
	6	कठडुमर	3	अत्यंत पिछड़ी वर्ग– 02 (दो) एवं अनारक्षित–01 (एक)
	7	धनुपरा	1	अनारक्षित
	8	बेलवारा	1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	9	मोहम्मदपुर	1	अनारक्षित
	10	सरौंजा	2	अत्यंत पिछड़ी वर्ग– 01 (एक) एवं अनारक्षित– 01 (एक)
	11	सिटानाबाद उत्तरी	2	अत्यंत पिछड़ी वर्ग– 01 (एक) एवं अनारक्षित– 01 (एक)
	12	सिटानाबाद दक्षिणी	1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	13	सरडीहा	2	अत्यंत पिछड़ी वर्ग– 01 (एक) एवं अनारक्षित– 01 (एक)
	14	रायपुरा	1	अनारक्षित
	15	माहखड़	1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
	16	सिमरी	2	अनारक्षित– 01 (एक) एवं पिछड़ी वर्ग के महिला– 01 (एक)
	17	खम्हौती	1	अनारक्षित
	18	नगर पंचायत	4	अत्यंत पिछड़ी वर्ग–2 (दो) एवं अनारक्षित–2 (दो)
	19	चकभारो	1	अनुसूचित जनजाति
	20	तरियामा	1	अनारक्षित
	21	भटौनी	2	अनूसूचित जाति– 01 (एक) एवं अनारक्षित– 01 (एक)
सलखुआ	22	अलानी	1	अत्यंत पिछड़ी वर्ग
	23	साम्हरखुर्द	1	अनारक्षित
बनमा ईटहरी	24	घौड़दौर	4	अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 01 (एक), अनारक्षित– 02 (दो) एवं पिछड़ा वर्ग महिला– 01 (एक)
	25	सरबेला	4	अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 01 (एक), अनारक्षित– 02 (दो) एवं पिछड़ा वर्ग महिला– 01 (एक)
	26	महारस	2	अनुसूचित जनजाति– 01 (एक) एवं अनारक्षित– 01 (एक)
	27	रसलपुर	2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 01 (एक) एवं अनारक्षित– 01 (एक)
	28	ईटहरी	4	अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 02 (दो) एवं अनारक्षित– 02 (दो)
	29	जमालनगर	3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 01 (एक), अनारक्षित– 01 (एक) एवं अनुसूचित जाति– 01 (एक)
	30	सहुरिया	2	अनारक्षित–01 (एक) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 01 (एक)
कुल रिक्ति:–			58	

नोट :–

1. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) तीन प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दाँये कोने में चिपकाना होगा।

2. आवेदक को अपना मोबाईल नं० आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।

3. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर पंचायत का नाम लिखना होगा, जिस पंचायत के लिए आप आवेदन कर रहें हैं।

4. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

5. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

6. संबंधित पंचायत का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

7. एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

8. सभी आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र (आरक्षी अधीक्षक स्तर का) संलग्न करना आवश्यक होगा।

9. सभी आवेदक को स्वयं शपथ पत्र जमा करना होगा कि "मैं सरकारी सेवा में नहीं हूँ"।

10. जिन पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियाँ अनुशंसित हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर यह रिक्तियाँ अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरी जाएगी। अतः ऐसे पंचायतों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति दोनों कोटि के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।

11. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दूकान चलाना चाहते हैं, उनका खाता, खेसरा एवं रकवा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। ***(रिक्ति से संबंधित विवरणी एवं जानकारी अनुमंडल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर के वेबसाईट eblock.bih.nic.in पर अनुमंडल सिमरीबख्तियारपुर को Select कर देखा जा सकता है।)***

ह०/–

अनुमंडल पदाधिकारी,
सिमरी बख्तियारपुर।